न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 08/2018

आसिया पुत्री हमीदा पत्नि अब्दुल रहमान जाति मेव निवासी बहादुरपुर तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत घोंसिंगा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत घोसिंगा तहसील पहाडी
2. रमजान पुत्र हमीदा जाति मेव निवासी बहादुरपुर तहसील पहाडी (भरतपुर)

रैस्पोडेन्ट

3. एमना पुत्री हमीदा जाति मेव निवासी बहादुरपुर तहसील पहाडी (भरतपुर)

तरतीवी पक्षकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट
विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 23/02/2004
ग्राम पंचायत घोंसिंगा तहसील पहाडी

उपखण्ड पहाडी जिला भरतपुर

1. श्री सतीश शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री शीशराम वर्मा वकील रैस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री अलताफ हुसैन वकील तरतीवी पक्षकार संख्या 3

दिनांक :– 22/04/2022

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध रैस्पोडेन्ट इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नम्बर 1/0.39, 21/0.49, 125/0.15, 126/0.27, 127/0.15, 133/0.06, 137/0.03, 167/0.19, 168/0.28, 169/0.23, 180/0.33, 205/0.25, 233/0.09, 235/0.39, 236/0.47, 255/35/0.32, 304/248/0.37, 306/2/0.15, 326/234/0.21; किता 19 रकबा 4.82 हैक्टर बांके ग्राम बहादुरपुर तहसील पहाडी में स्थित है विवादित आराजी अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 2 और तरतीवी पक्षकार के पिता हमीदा पुत्र सिमरू की खातेदारी की भूमि थी जिस देहान्त 04/07/2001 को ग्राम बहादुरपुर में हो गया था और मृत्तक हमीदा अपने पीछे वारिसान के रूप

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

अपीलान्ट , रैस्पोडेन्ट, तरतीवी पक्षकार को छोड गया इस प्रकार अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व तरतीवी पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य है । अपीलान्ट की माता जुहरवी का देहान्त हो चुका है। विवादित आराजी को अपीलान्ट व तरतीवी पक्षकार वाहिस्सा बराबर अपने मृत्तक पिता के जीवनकाल से ही कब्जा काश्त करते चले आ रहे है और मुताबिक हिस्सा अपनी–अपनी आराजी पर काबिज है। अपीलान्ट रैस्पोडेन्ट संख्या 2 तथा तरतीवी पक्षकार मृत्तक हमीदा के कानूनी वारिस है और मृत्तक हमीदा के देहान्त के बाद राजस्व रिकॉर्ड में मृत्तक हमीदा द्वारा छोडी गई विवादित आराजी पर बतौर वारिस रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के साथ अपीलान्ट व तरतीवी पक्षकार का नाम वाहिस्सा बराबर दर्ज होना चाहिए था लेकिन रैस्पोडेन्ट संख्या 2 जो कि चालाक किस्म का व्यक्ति है ने रैस्पोडेन्ट संख्या 1 राजस्व कर्मचारियों से मिलकर आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाट व तरतीवी पक्षकार को छोडते हुये अकेले अपने नाम दर्ज करा लिया जिसका इल्म अपीलान्ट को नकल दाखिल खारिज दिनांक 12/09/2018 एवं नकल जमाबन्दी लेने पर हुआ और अपील अन्दर म्याद पेश है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व राजस्व कर्मचारियों द्वारा मृत्तक हमीदा के वारिसान की जानकारी किये बिना तथा आराजी का मौका व कब्जा देखे बिना रैस्पोडेन्ट संख्या 2 से मिलकर आराजी का दाखिल खारिज अकेले रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दिनांक 23/02/2004 को तस्दीक कर दिया और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जिसकी जालसाजी का प्रमाण दाखिल खारिज संख्या 341 दिनांक 23/02/2004 व नकल जमाबन्दी में स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा हैं। इस प्रकार उक्त दाखिल खारिज कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध व खिलाफ मौका व कब्जा है। जो काबिले खारजी है और अपीलान्ट उक्त गलत दाखिल खारिज को खारिज कराकर विवादित आराजी पर वाहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के चल रहे नाम को कलमजन कराकर अपना नाम दर्ज करा पाने की अधिकारी है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर दाखिल खारिज संख्या 341 दिनांक 23/02/2004 को खारिज करने के आदेश फरमाये जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । रैस्पोडेन्ट संख्या 1 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। उसके विरूद्ध दिनांक 14/11/2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

रैस्पोडेन्ट संख्या 2 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि अपील में दर्ज दाखिल खारिज संख्या 341 दिनांक 23/02/2004 को ग्राम पंचायत घोसिंगा ने पूरी तरह से जाँच कर व सभी पक्षकारों की सहमति से खोला हैं तत्कालीन सरपंच ने मौके पर अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट को भी अपने समक्ष हाजिर किया और अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 3 ऐमना से वहाँ उपस्थित सभी लोगो के सामने पूछा था कि आप अपना हक लेना चाहती हो या नही तो अपीलान्ट आसिया व रैस्पोडेन्ट संख्या 3 ऐमना दोनो बहिनों ने यह कहा कि हमारा भाई रमजान जन्म से दोनो आँखों से

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

अंधा है इसलिए उसके व उसके बच्चों के जीवन यापन के लिये हम अपना हिस्सा आराजी में से नही लेना चाहती है तथा अपील में दर्ज आराजी का दाखिल खारिज हमारे भाई रमजान के नाम दर्ज करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है और इस कारण ग्राम पंचायत घोसिंगा ने अपील में दर्ज दाखिल खारिज अकेले रैस्पोडेन्ट संख्या 2 रमजान के नाम दर्ज कर कोई गलती नहीं की है। ग्राम पंचायत घोसिंगा ने दाखिल खारिज सही खोला है। उक्त अपील अपीलान्ट ने तंग व परेशान करने के लिये पेश की है। अपीलान्ट की स्वयं की स्वीकृति से अपील में दर्ज आराजी का दाखिल खारिज रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज किया गया। परन्तु अब अपीलान्ट के मन में बदयान्ती आ गई है इस कारण यह अपील झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की है। आराजी पर अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 3 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। रैस्पोडेन्ट संख्या 2 ने काफी मेहनत कर व लागत लगाकर आराजी को काबिलें काश्त बनाया है। अंतः जबाब पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

रैस्पोडेन्ट संख्या 3 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि अपील मे दर्ज दाखिल खारिज संख्या 341 दिनांक 23/02/2004 ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज करते वक्त मुझे व अपीलान्ट हम दोनो बहिनों को तत्कालीन सरपंच ने बुलवाया था और हम दोनो बहिने सरपंच के समक्ष हाजिर हुये और हमने आराजी में से अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया था क्योकि हमारा भाई रैस्पोडेन्ट संख्या 2 रमजान जन्म से नेत्रहीन है और आराजी मुत0 से वह अपना व परिवार का भरण पोषण करता है इस कारण आराजी का दाखिल खारिज अकेले रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम खोला गया । उस वक्त हम दोनो बहिने आराजी में से अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती थी। परन्तु अब मेरी बहिन आसिया के मन में बदयान्ती आ गई है इस कारण उक्त अपील पेश की है। आराजी पर अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 3 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा शादी के बाद से हम दोनो बहिने अपनी-अपनी ससुराल में रह रही है समस्त आराजी हमारे पिता के बाद से लेकर आज तक मेरे भाई रमजान का ही कब्जा काश्त है। हम दोनो बहिनो आराजी से किसी प्रकार का कोई लेना-देना नहीं है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

वकील अपीलान्ट एवं रैस्पोडेन्टस की बहस सुनी गई। हमने बहस वकील फरीकेन पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 341 दिनांक 23.02.2004 को खारिज करने का निवेदन किया गया है। अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 2,3 आपस में सगे भाई-बहिन है। जो कि एक ही परिवार के सदस्य है। इस तथ्य को सभी रैस्पोडेन्ट ने स्वीकार किया है। ग्राम पंचायत घोसिंगा द्वारा मृतक हमीदा की विरासत खोलते समय सभी वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया है। रैस्पोडेन्ट का यह कथन है कि सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष अपीलान्ट ने कोई भी आपत्ति पेश नहीं की और दाखिल खारिज सन् 2004 में दर्ज किया गया था जिसकी जानकारी अपीलान्ट को थी और अपीलान्ट ने

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

अपनी सहमति से ही दाखिल खारिज दर्ज किया गया था। परन्तु रैस्पोडेन्ट द्वारा कोई भी सहमति का दस्तावेजी साक्ष्य अथवा हक त्याग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे रैस्पोड़ेन्ट के कथन की पुष्टि होती हो। पैतृक आराजी में सभी विधिक वारिसानों का हक होता है। नामान्तरण स्वत्व अथवा हित सृजन नहीं करता है। सभी विधिक वारिसान भूमि के हकदार होते है। जब तक कि किसी विधिक वारिसान द्वारा रजिस्ट्रर्ड हक त्याग से हिस्सा न छोड़ा हो। ग्राम पंचायत घौसिंगा द्वारा नामान्तरण प्रकिया के समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है। जहां तक परिसीमा का प्रश्न है। पुत्रियाँ प्रथम श्रेणी की वारिसान है। उन्हे मनमाने ढंग से छोड़ा नहीं जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में सभी वारिसानों को विना सुने एक पक्षीय आदेश किया गया है। ऐसे एक पक्षीय आदेश में परिसीमा तात्विक नहीं है। इसलिए ग्राम पंचायत घौसिंगा द्वारा नामान्तरण गलत खोला गया है। अतः नामान्तरण संख्या 341 दिनांक 23.02.2004 को खारिज किया जाना उचित है।

अतः आज्ञा है कि :–

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 341 दिनांक 23.02.2004 आज्ञा सरपंच ग्राम पंचायत घौसिंगा निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार पहाड़ी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वे उभयपक्षकारान को सुनकर मृतक हमीदा के वारिसान की सही जांच कर पुनः विधिवत निर्णिय पारित करें। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाड़ी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय निर्णय आज दिनांक 22/04/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner